[1][उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2005

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55 सन् 1975) की धारा 14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में लागू होगी जैसाकि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) यह गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें.—(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 से है।

(ख) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन नगर निगम से है।

(ग) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या किसी निगमित निकाय और यदि ऐसा कोई अधिकारी या निगमित निकाय नियुक्त नहीं है तो ऐसे मण्डल, जिसमें निगम स्थित हो, के आयुक्त या उस जिले, जिसमें नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत स्थित हो, के जिला मजिस्ट्रेट से है।

(घ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में स्थित नगर निगम नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत से है।

(2) शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन.—(1) विहित प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी नगरपालिका अधिकारी या अन्य अधिकारी को कर सकता है।

(2) स्थानीय निकाय अपनी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रत्यायोजन अपने किसी अधिकारी को कर सकता है।

4. पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की सूची की तैयारी.—(1) स्थानीय निकायों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के सम्बन्ध में सूची तैयार की जायेगी।

(2) सूची में पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की वार्डवार क्रम संख्या, नाम, अवस्थिति, आकार/क्षेत्रफल तथा अन्य सुसंगत सूचनायें होगी।

---

1 अधिसूचना सं० 3129/नौ-7-2005-107 रिट-03 दिनांक 21 सितम्बर, 2005 द्वारा नियमावली बनायी गयी, जो उ० प्र० असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 21 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित हुआ (21.9.2005 से प्रभावी).

5. सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति.—(1) नियम 4 के अधीन तैयार की गई सूची, स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की जायेगी।

(2) आपत्तियाँ एवं सुझाव, यदि कोई हों, उप नियम (1) के अधीन सूची के प्रकाशन के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(3) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण कर सकता है और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जाँच, पड़ताल यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् सूची का अनुमोदन उपांतर सहित या रहित कर सकता है।

(4) कोई आपत्ति या सुझाव न प्राप्त होने की दशा में विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उप नियम (1) के अधीन प्रकाशित सूची का अनुमोदन कर सकता है।

(5) उप नियम (3) अथवा उप नियम (4) के अधीन अनुमोदित सूची संबंधित क्षेत्र में प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। रेखांकन मानचित्र, अभिलेख या भू-अभिलेख विहित शुल्क का संदाय करने पर स्थानीय निकाय के अभिलेख कक्ष में निरीक्षण हेतु जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

6. सूची का पुनरीक्षण.—(1) कोई व्यक्ति, जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के प्रति कोई आपत्ति हो, अंतिम सूची के प्रकाशन के एक माह के भीतर, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन दे सकता है।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर राज्य सरकार, विहित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा सकती है और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सूची का पुनरीक्षण कर सकती है।

(3) उप नियम (2) के अधीन पुनरीक्षित सूची का प्रकाशन गजट में किया जायेगा।

7. प्रतिषेध.—(1) कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगहों में या उसके ऊपर कोई दीवाल, बाड़ कटहरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढाँचा चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर हो और चाहे वह स्थायी या अस्थायी प्रकार का हो, या कोई स्थापक, न निर्मित करेगा या न लगायेगा जिससे कि उस पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के लिए कोई अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो या ऐसे पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के किसी भाग को पर कब्जा करेगा।

(2) किसी व्यक्ति, स्वामी, प्रबंधक या अभिकर्ता को स्थानीय निकाय या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में किसी भी वर्ग के पशु के प्रवेश कराने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) नियम 5 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची में विनिर्दिष्ट किसी पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह का उपयोग, विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे प्रयोजन, जिसके लिये इसे बनाया गया है, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(4) किसी व्यक्ति को अनुमोदित सूची में विनिर्दिष्ट पार्कों, खेल के मैदानों या खुली जगहों की उपयोगिता को प्रभावित करने की अनुज्ञा नहीं की जायेगी।

(5) कोई व्यक्ति कूड़ा नहीं फेकेंगा, मलवा नहीं एकत्र करेगा, कटहरा या बाड़ नहीं तोड़ेगा, फल, फूल, पत्तियाँ, पौधे, घास स्थापक, यंत्र या कोई चीज जो भी उसमें हो न चुरायेगा न क्षति पहुँचायेगा या किसी प्रकार का अपदूषण, अपकार्य या अविधिक और अनैतिक आचरण नहीं करेगा।

8. पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह का अनुरक्षण.—(1) सम्बन्धित स्थानीय निकाय उन समस्त पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों जो उससे संबंधित हों, या उसमें निहित हों और नियम 5 के अधीन अनुमोदित और प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, को स्वच्छ समुचित और सन्तोषप्रद दशा में अनुरक्षित रखेगा।

(2) ऐसे पार्क, खेल के मैदान अथवा खुली जगहें जो विकास प्राधिकरणों आवास परिषदों, आवास समितियों, निर्माताओं और ऐसें अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित किये गये हों किन्तु स्थानीय निकाय को न सौंपे गये हों, उनके द्वारा स्वच्छ, समुचित और संबंधित स्थानीय निकाय के समाधान पर्यन्त अनुरक्षित रखा जायेगा।

(3) पार्कों, खेल के मैदानों या खुली जगहों, जो किसी स्थानीय निकाय में निहित न हो किन्तु नियम 5 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, के मामले में विहित प्राधिकारी, नोटिस द्वारा ऐसे पार्कों, खेल के मैदानों या खुली जगहों के स्वामी या अधिभोगी से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकता है :

(क) ऐसे पार्कों, खेल के मैदानों या खुली जगहों को स्वच्छ और समुचित दशा में अनुसरण करे; या

(ख) ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में या उस पर किसी प्रक्षेप, अतिक्रमण, अवरोध को हटाये या उसमें परिवर्तन करे या नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में स्थित किन्हीं भवनों में ऐसी मरम्मत करे, जैसाकि विहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(4) यदि स्वामी या अधिभोगी उप नियम (3) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है तो विहित प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे, निम्नलिखित व्यवस्था करेगा—

(क) ऐसे पार्क या खेल का मैदान या खुली जगह को स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षित करे,

(ख) प्रक्षेप, अतिक्रमण या अवरोध को हटाये या उसमें परिवर्तन करे; या

(ग) ऐसी मरम्मत करे जैसा वह आवश्यक समझे और ऐसे अनुरक्षण या हटाये जाने, परिवर्तन या मरम्मत की लागत की वसूली ऐसे स्वामी या अधिभोगी से की जायेगी,

(5) विहित प्राधिकारी उप नियम (4) में यथाइंगित कार्यवाही करने के स्थान पर या उसके अतिरिक्त भूमि का अर्जन किसी पार्क या खेल के मैदान के रूप में भूमि के प्रभावी प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन करा सकता है।

(6) किसी खेल के मैदान का स्वामी या अधिभोगी, जो खेल के मैदान का उपयोग खेल के मैदान से भिन्न किसी अन्य उपयोग में परिवर्तित करना चाहता हो, राज्य सरकार को खेल के मैदान से अपना अधिकार, हक और हित क्रय करने के लिए नोटिस दे सकता है और यदि राज्य सरकार ऐसी नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसा अधिकार, हक और हित क्रय करने के लिए अपनी तैयारी और सहमति को संज्ञापित नहीं करता है तो वह ऐसे खेल के मैदान का ऐसे उपयोग में ला सकता है जैसा वह चाहे।

9. स्वामी या अधिभोगी से अनुरक्षण, हटाये जाने, परिवर्तन या मरम्मत की लागत की वसूली.—(1) इस नियमावली के अधीन अनुरक्षण हटाये जाने, परिवर्तन या मरम्मत की लागत की वसूली निम्नलिखित प्रक्रिया एवं रीति से की जा सकती है—

(क) बिल प्रस्तुत करके,

(ख) मांग की लिखित नोटिस तामील करके,

(ग) व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की बिक्री से,

(घ) व्यतिक्रमी की स्थावर सम्पत्ति की कुर्की बिक्री से,

(ङ) भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली से,

(2) जैसे ही कोई व्यक्ति लागत के भुगतान का उत्तरदायी हो जाये, विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवायेगा।

(3) ऐसे बिल में निम्नलिखित बातों का विर्निदेश होगा—

(क) यथास्थिति स्वामी या अधिभोगी द्वारा पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह, जैसा मामला हो, का अनुरक्षण करने या उसे हटाये जाने या परिवर्तित करने या मरम्मत करने में उपगत व्यय का विवरण,

(ख) भुगतान के व्यतिक्रम में प्रवर्तित दायित्व या शास्ति;

(ग) वह समय, जिसके अन्तर्गत भुगतान किया जा सके।

(4) यदि धनराशि, जिसके लिये बिल प्रस्तुत किया गया हो, का भुगतान देय समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा ऐसी धनराशि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, उक्त धनराशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति पर मांग की नोटिस तामिल करा सकता है।

(5) यदि मांग की ऐसी नोटिस के तामील होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, मांग की नोटिस में उल्लिखित धनराशि का भुगतान नहीं करता है अथवा विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समाधान पर्यन्त कारण नहीं बताता है तो, ऐसी धनराशि की वसूली, स्थानीय निकाय अथवा तद्नुरूप प्रभावी द्वारा व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति के करस्थम और विक्रय द्वारा की जा सकती है।

(6) अधिकारी, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय वारन्ट निष्पादित करने के प्रयोजन से बल पूर्वक प्रवेश कर सकता है।

(7) यदि देय धनराशि का भुगतान नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो स्थावर सम्पत्ति अथवा उसके किसी पर्याप्त भाग का विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा विहित प्राधिकारी के आदेश से किया जा सकता है।

(8) व्यतिक्रमियों पर भुगतान के लिए देय धनराशि के निमित्त वाद चलाया जा सकता है।

(9) इस नियमावली के अधीन वसूली योग्य लागत की धनराशि से सम्बन्धित कोई विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

10. अतिक्रमणों का हटाया जाना.—(1) विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नोटिस के बिना किसी दीवाल, बाड़, कटहरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर

या अन्य निर्माण, चाहे वह स्थिर या चल हो और चाहे वे स्थायी या अस्थायी प्रकृति का हो, या कोई ऐसा स्थापक जो किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में या उसके ऊपर निर्मित या स्थापित किया गया हो, को हटाया जा सकता है।

11. **प्रभारो एवं शुल्क का उद्ग्रहण शुल्क.**—(1) स्थानीय निकाय द्वारा नियत प्रवेश शुल्क उपयोक्ता प्रभार, किराया, अनुरक्षण एवं अन्य प्रभार प्रभारित किये जायेंगे।

(2) प्राप्त निधि स्थानीय निकाय की निधि में जमा की जायेगी।

12. **राज्य सरकार को वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.**—(1) विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम-5 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के सम्बन्ध में एक वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उचित अनुरक्षण, स्वच्छता, मरम्मत, अतिक्रमणों को हटाये जाने और सुन्दरीकरण आदि के लिए उठाये गये कदमों का उल्लेख वार्षिक विवरणी में किया जायेगा।

13. **शास्ति.**—जो कोई नियम 7 और नियम 8 के उप नियम (3) या (4) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसी अवधि का कारावास, जो एक मास तक हो सकता है, या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड किया जायेगा।

प्रपत्र-1

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची

(नियम 4 देखें)

स्थानीय निकाय का नाम.....

सूची.....

वार्ड का नाम तथा संख्या.....

क्रम संख्या	.....नाम*	अवस्थिति	क्षेत्रफल/आकार ल० × चौ०	विस्तृत अभ्युक्ति

**टिप्पणी*—पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी।

स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का
हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

बिल

(नियम 9 के उप नियम (2) और (3) देखें)

संख्या.....

स्थानीय निकाय का नाम.....

मांग की प्रकृति एवं विवरण	अवधि	धनराशि
	कुल धनराशि	
	कुल धनराशि (शब्दों में)	

इस बिल की धनराशि का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के दिनांक से 15 दिन के भीतर किया जायेगा। यदि धनराशि का भुगतान उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो मांग की नोटिस और यदि आवश्यक हो तो करस्थम वारण्ट जारी किया जायेगा।

दिनांक.....

विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

मांग की नोटिस

(नियम 9 (4) देखें)

स्थानीय निकाय का नाम.....

मांग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

बिल संख्या.....

देय तिथि.....

मद संख्या	विवरण	धनराशि
	कुल धनराशि	
	कुल धनराशि (शब्दों में)	

प्रस्तुत करने का दिनांक.....

विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-4

वार्षिक विवरणी

(नियम 12 देखें)

स्थानीय निकाय का नाम.....

मद का नाम.....

वर्ष.....

वार्ड का नाम.....

क्रम संख्या	.....नाम*	अवस्थिति	क्षेत्रफल/आकार ल० × चौ०	अनुरक्षण, सफाई, सुन्दरीकरण आदि के लिए उठाये गये कदम

**टिप्पणी*—पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी।

विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी का हस्ताक्षर